भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3752

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

नमस्ते योजना

3752. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

श्रीमती रुचि वीरा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जौनपुर लोक सभा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में नमस्ते योजना के तहत उपलब्ध कराए गए यंत्रीकृत स्वच्छता उपकरणों, आवंटित, स्वच्छता उद्यमी योजना, संवितरित धनराशि और लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जौनपुर सहित अनेक नगर निकायों में खरीदी गई सक्शन और जेटिंग मशीनें रखरखाव और प्रशिक्षित संचालनकर्ताओं की कमी के कारण अप्रयुक्त पड़ी हैं और यदि हां, तो उनके प्रभावी संचालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में कितने सीवर और सफाई कर्मचारियों तथा कचरा बीनने वालों को आयुष्मान भारत कार्ड, पूंजीगत राजसहायता और अन्य वित्तीय सहायता जैसे लाभ प्रदान किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को रोकने के साथ पारंपरिक सफाई कर्मकार समुदायों के युवाओं को केवल मशीन संचालकों के रूप में परिवर्तित करने के बजाय उनके लिए सतत रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी सुरक्षात्मक ढांचा तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार के पास पारंपरिक सफाई कर्मकारों के परिवारों के युवाओं के लिए सतत रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और आर्थिक शोषण से संरक्षण संबंधी प्रावधान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 'राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)' के तहत 'स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई)' के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 37

लाभार्थियों को 2.32 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई है। इन 37 लाभार्थियों में से कोई भी जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से नहीं है।

(ख): उत्तर प्रदेश के जौनपुर सहित नगर निकायों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): उत्तर प्रदेश और जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सत्यापित सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों और कचरा बीनने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) योजना के तहत दिए गए लाभ जैसे कि - आयुष्मान भारत कार्ड, पूंजीगत सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

(घ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ड.): सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए जाते हैं:-

i. सफाई कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।
ii. स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को मशीनीकृत स्वच्छता उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार शुरू करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से, व्यावहारिक आय सृजन वाले कार्यों को करने के लिए इसके चैनल भागीदारों के माध्यम से रियायती ऋण भी उपलब्ध हैं, बशर्ते कि आवेदक इसके लिए पात्र हो।

संलग्नक

'नमस्ते योजना' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3752, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

उत्तर प्रदेश और जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सत्यापित सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों और कचरा बीनने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) योजना के तहत दिए गए लाभ, जैसे कि - आयुष्मान भारत कार्ड, पूंजीगत सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:-

(क) सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक (एसएसडब्ल्यू):-

घटक	उत्तर प्रदेश	जौनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
सत्यापित सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की संख्या	12463	84
एसएसडब्ल्यू को दी गई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट की संख्या	11414	84
सुरक्षा उपकरणों से लैस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट की संख्या	91	1
आयुष्मान भारत कार्ड पाने वाले एसएसडब्ल्यू की संख्या	10431	62
पूंजीगत सब्सिडी पाने वाले लाभार्थियों की संख्या	77	-
व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण की संख्या	1348	-
सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई को रोकने के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	196	1

(ख) कचरा बीनने वाले व्यक्ति:-

घटक	उत्तर प्रदेश	जौनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
सत्यापित किए गए कचरा बीनने वाले व्यक्तियों की संख्या	44407	191
उन कचरा बीनने वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें पीपीई किट प्रदान की गई की गई है	37682	109
उन कचरा बीनने वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया है	13511	16
व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण की संख्या	232	-
